the weaker sections of the society has been allotted to the upper class persons;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether Government propose to introduce the Master Plan in the villages; and

(f) if so, by when, this Master Plan will be implemented in Bathain Kalan, District Mathura?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) For vacation of Gram Sabha land cases were filed under Section 122-B of the U.P. Zaminadari Abolition & Land Reforms Act, 1950 in the court of Tehsildar Chhata. Of the total 8 such cases, notices were withdrawn in respect of 3 of them and in the remaining 5 cases eviction orders were passed against which revision applications have been filed in the court of District Magistrate, Mathara.

(c) and (d) Yes, Sir. According to the information received from the State Government 47 persons belongig to upper class who were not eligible were given possession of land. Subsequently, after enquiry, a case has been filed in the court of District Magistrate Mathura under the U.P. Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950 for cancellation of patta and action against the employees/officers found guily in this regard is being taken as per rules.

(e) and (f) There is no such proposal at present for Mathura District.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

1501. **श्री शांति त्यागी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की बजाय नकद सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां

(ख) जी नहीं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों के पोषाहार स्तरों में सुधार लाने की आवश्यकता को देखते हुए योज के अन्तर्गत सृजित प्रति श्रम दिन 2 किलोग्राम खाद्यान्नों के वितरण को अनिवार्य बनाया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाना

1502. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न भूमि सुधारों के तहत भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस लक्ष्य को पूरा करने में क्या कठिनाई पेश आ रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का कब्जा दिलाने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । तथापि, सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोगों सहित ग्रामीण गरीबों को अधिशेष भूमि के वितरण के लक्ष्य निर्धारित करती रही है । मुख्य लाभार्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियां के हैं ।